पत्रांक-भवन/अभि0प्र0(यो0)-02-विविध-49/2015.........1488(गो)/अ0प्र0........../

**बिहार सरकार**

**भवन निर्माण विभाग**

प्रेषक,

सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

**सभी कार्यपालक अभियंता,**
**भवन निर्माण विभाग,**
**बिहार, पटना।**

पटना, दिनांक 13-02-2024

**विषयः-** **राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 + सामान्य क्षेत्रों में 1083) ग्राम पंचायतों में नये पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के संबंध में।**

**प्रसंगः-** पंचायती राज विभाग का संकल्प संख्या-1291 दिनांक 08.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक संकल्प की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राज्य के कुल 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1082 + सामान्य क्षेत्रों में 1083) ग्राम पंचायतों में नये पंचायत सरकार भवनों की निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा प्रदान की गयी है। उक्त सभी पंचायत सरकार भवनों के निर्माण राज्य के 38 जिलों के विभिन्न पंचायतों में किया जाना है, जिसकी विस्तृत सूची, चयनित भूमि के विवरणी (चयनित भूमि के मौजा, थाना, खाता, खेसरा, रकवा एवं किस्म) के साथ संलग्न की जा रही है।

इस संबंध में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के चयनित भूमि का निरीक्षण कर उसकी वास्तविक उपलब्ध के संबंध में 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित की जाय।

**अनु0-यथोक्त।**

विश्वासभाजन

13.2.24

(सुधांशु शेखर राय)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/1291..../पं०रा० , पटना दिनांक 08/2/24

विषय : राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 + सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के सभी 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत सरकार भवन का डिजाईन पूर्व से अनुमोदित है। इन भवनों का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इस भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त इसका उपयोग बाढ़ एवं आपदाओं में भी किया जा सकेगा। यह भवन दो–मंजिला है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन–सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

पूर्व में राज्य की कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 4236 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है।

2. इसी क्रम में राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 + सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इन पंचायत सरकार भवनों का क्षेत्रफल सामान्य क्षेत्रों के लिए 7202 Sqft एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9528 Sqft है। सामान्य क्षेत्रों के लिए प्रति पंचायत सरकार भवन प्राक्कलित राशि ₹2,50,23,129.00 (दो करोड़ पचास लाख तैईस हजार एक सौ



Scanned with CamScanner

उनतीस रूपये) मात्र है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रति पंचायत सरकार भवन प्राक्कलित राशि ₹3,05,00,000.00 (तीन करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र है।

इस प्रकार सामान्य क्षेत्रों का 1083 भवनों पर कुल– 1083 × ₹2,50,23,129.00 = ₹2710,00,48,707.00 (दो हजार सात सौ दस करोड़ अड़तालीस हजार सात सौ सात रूपये) मात्र तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 भवनों पर कुल– 1082 × ₹3,05,00,000.00 = ₹3300,10,00,000.00.00 (तीन हजार तीन-सौ करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अर्थात कुल– ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी।

4. भूमि का चयन : विभागीय पत्रांक 10956 दिनांक 12.10.2023 द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन हेतु समेकित दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके आधार पर जिला पदाधिकारियों द्वारा 2165 (दो हजार एक सौ पैंसठ) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गयी है, जिसकी जिलावार विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इन्हीं चयनित पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी :–

(i) राज्य में शेष बचे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार योजना के चयन सूची भूमि की विवरणी के साथ चयनित विभाग/एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद की राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित विभाग/एजेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी। योजना की राशि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पी0डी0/पी0एल0 एकाउन्ट में रखी जायेगी। प्राक्कलन की स्टेजवार भौतिक प्रगति होने पर मापी का प्रावधान होगा। मापी पुस्त में अंकित स्टेजवार किये गये कार्य के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा। मापी के स्टेज निम्नवत् होंगे:–

a) मुख्य भवन के प्लींथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।



Scanned with CamScanner

b) मुख्य भवन के प्रथम तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

c) मुख्य भवन के द्वितीय तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।

d) मुख्य भवन के फिनिशिंग कार्य (इलेक्ट्रिफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

e) Living Block (फिनिशिंग / इलेक्ट्रिफिकेशन संहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

f) Block, PHE एवं अन्य सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (फिनिशिंग / इलेक्ट्रिफिकेशन सहित)

g) प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर ऑनलाईन विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी।

6. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु निम्नरूपेण समिति गठित होगी :–

(i) संबंधित जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष)।

(ii) अध्यक्ष, जिला परिषद्।

(iii) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित जिला परिषद्।

(iv) जिला अभियन्ता, जिला परिषद्।

(v) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार।

(vi) जिला में पदस्थापित जिला गुणवत्ता प्रबंधक (DQM)।

(vii) जिला में कार्य कर रही क्रियान्वयन ऐजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता स्तर के पदाधिकारी – सदस्य।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी – सदस्य सचिव।

उक्त समिति पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निमित अन्तराल पर समीक्षा करेगी तथा कार्य में अवरोध दूर करने हेतु दिशा–निर्देश दे सकेगी।

Scanned with CamScanner

7. राज्य स्तर पर समीक्षा :–

(i) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग।

(ii) प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग।

(iii) संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी के सचिव/महानिदेशक (MD)।

(iv) मुख्य अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग।

(iv) पंचायती राज विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि।

– यह समिति राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा कर उसकी प्रगति हेतु दिशा–निर्देश दे सकेगी।

8. इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा–निर्देश संसूचित किया जायेगा।

9. <u>बजट शीर्ष</u> :

इस योजना हेतु बजट की उपलब्धता अगले दो वित्तीय वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्षों से की जायेगी :

<u>षष्ठम राज्य वित्त आयोग</u> :–

(i) मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्यशीर्ष– 00– लघुशीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001960007 है।

(ii) 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्यशीर्ष–00– लघुशीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतो/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों का अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001970004 है।

(iii) 'मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्यशीर्ष– 00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105–सहायक



Scanned with CamScanner

अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

राज्य योजना मद –

(iv) मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–101–पंचायती राज विभाग उप शीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)। विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण इकाई। विपत्र कोड 16–4515001010108 है।

10. योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.02.2024 के मद संख्या–04 के रूप में संचिका सं०–2प/पं०स०भ०–09–39/2023 के संचिका पृष्ठ–16/टि0 पर प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 7/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291 / पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 7/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291 / पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 7/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291 / पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन

Scanned with CamScanner

आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 8/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291/ पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 8/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291/ पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 8/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०–09–39/2023/1291/ पटना, दिनांक 08/2/24

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

मिहिर 8/2/24

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

(25)

अनुलग्नक –1

अवशेष बचे पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित जिलावार समेकित प्रतिवेदन :—

| क्र० | जिला का नाम | भूमि चिन्हित हेतु शेष पंचायतों की संख्या | शेष पंचायत के विरूद्ध जिला द्वारा विभाग को चिन्हित भूमि की सूची प्राप्त | बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिन्हित पंचायत सरकार भवनों की संख्या | अन्य पंचायतों में चिन्हित पंचायत सरकार भवनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | मुजफ्फरपुर | 249 | 85 | 85 | 0 |
| 2 | मधुबनी | 203 | 65 | 65 | 0 |
| 3 | पटना | 213 | 81 | 28 | 53 |
| 4 | पू० चम्पारण | 169 | 70 | 70 | 0 |
| 5 | सिवान | 171 | 93 | 0 | 93 |
| 6 | समस्तीपुर | 161 | 84 | 84 | 0 |
| 7 | अररिया | 117 | 49 | 49 | 0 |
| 8 | बेगुसराय | 119 | 53 | 27 | 26 |
| 9 | भोजपुर | 122 | 56 | 0 | 56 |
| 10 | वैशाली | 144 | 85 | 0 | 85 |
| 11 | कटिहार | 129 | 70 | 70 | 0 |
| 12 | नालन्दा | 87 | 37 | 0 | 37 |
| 13 | प० चम्पारण | 197 | 148 | 51 | 97 |
| 14 | बांका | 103 | 55 | 0 | 55 |
| 15 | नवादा | 106 | 59 | 0 | 59 |
| 16 | सीतामढ़ी | 133 | 91 | 91 | 0 |
| 17 | कैमूर | 64 | 25 | 0 | 25 |
| 18 | दरभंगा | 153 | 115 | 115 | 0 |
| 19 | सारण | 179 | 141 | 23 | 118 |
| 20 | गया | 127 | 93 | 0 | 93 |
| 21 | खगड़िया | 35 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | भागलपुर | 93 | 67 | 67 | 0 |
| 23 | सुपौल | 45 | 21 | 21 | 0 |
| 24 | शिवहर | 37 | 14 | 14 | 0 |
| 25 | गोपालगंज | 79 | 59 | 25 | 34 |
| 26 | बक्सर | 55 | 36 | 0 | 36 |
| 27 | लखीसराय | 35 | 17 | 0 | 17 |
| 28 | रोहतास | 66 | 48 | 0 | 48 |
| 29 | सहरसा | 50 | 33 | 33 | 0 |
| 30 | औरंगाबाद | 76 | 62 | 0 | 62 |
| 31 | जमुई | 51 | 40 | 0 | 40 |
| 32 | किशनगंज | 41 | 32 | 32 | 0 |
| 33 | मधेपुरा | 30 | 21 | 21 | 0 |
| 34 | मुंगेर | 24 | 18 | 18 | 0 |
| 35 | शेखपुरा | 16 | 10 | 0 | 10 |
| 36 | जहानाबाद | 31 | 25 | 0 | 25 |
| 37 | पूर्णियाँ | 93 | 87 | 87 | 0 |
| 38 | अरवल | 14 | 14 | 0 | 14 |
| | कुल | 3817 | 2165 | 1082 | 1083 |

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner